

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं स्वामित्व प्रदेश

/११भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./२०१२

[26/7/2017]

पीरफ़िल्म "35"

उम्मेक
प्रति

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शास्त्रा
कलेक्टर जिला
(म.प.)

गवालियर दिनांक

विषय- माननीय मुंद्र्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए ०९६९ मजरे टोलों को राजस्व याम घोषित करने वाले।

रद्दमे (१) पमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ ११-१/२०१०/सात-शा.६ भोपाल दिनांक ८ जुलाई २०११।

(२) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक ७८१/११भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./२०१२ गवालियर दिनांक १६.४.२०

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयान्तर्गत लेख है कि का आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त गवालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक २.६.२०१ जारीजील की गई बठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्दिशित किया भया है कि भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें जिन्हे राजस्व याम में परिवर्तित किया जाए।

अत मजरे टोलों को राजस्व याम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित भाष्टुण्ड अपनाये जाये-

(३) ग्रुप राजस्व याम से मजरे टोलों की दुरी लगभग २ कि.मी.या अधिक होनी चाहिये।

(४) प्रथक बनाये जा रहे राजस्व याम का क्षेत्रफल २०० एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त या आयादी २०० या अधिक होनी चाहिये।

(५) प्रथक बनाये जा रहे, राजस्व याम की चतुर्सीमार्ये मूल याम से एवं अन्य सीमावर्ती यार्यों से भी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व याम की सीमार्ये मूल याम की सीमाओं के अन्य स्थित न रहे।

अतः उपरोक्त अ.व.स के भाष्टुण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में दिहित प्रावधानों को दृष्टीगत रख जिले में, मजरे टोलों को राजस्व याम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सूचित किये जा रहे, राजस्व याम के जानावरों की प्रति, के साथ भौवित्वपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार १५ & २० दिनों के पार्थमें देयार तैयार कर इस कार्यालय को भिजायाये।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व यार्यों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की जामया मानायित, सुस्पष्ट हो, इस तथ्य का विशेषत ध्यान रखे जाने वाले आदेशित किया जाता है।

स्वामी

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दो
मध्य प्रदेश